न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 04/2021

1 बजरंग सिंह पुत्र भंवर सिंह आयु 45 साल जाति राजपूत निवासी श्योराणी की ढाणी सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 गुडडी कंवर पुत्री छोटू
2 सन्तोष कंवर पुत्री छोटू
3 सुन्दर कंवर पुत्री छोटू
4 अन्तर कंवर पुत्री छोटू
5 रतन कंवर पुत्री छोटू समस्त निवासीगण श्योराणी की ढाणी सूरजगढ़ तहसील व जिला झुन्झुनू राजस्थान।
6 सूरजभान सिंह पुत्र अन्ने सिंह आयु 55 साल जाति राजपूत निवासी श्योराणी की ढाणी सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7 उप पंजीयक महोदय सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.
8 पवन सिंह पुत्र भंवर सिंह आयु 35 साल निवासी श्योराणी की ढाणी सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.
9 लक्ष्मी देवी पत्नी भंवर सिंह आयु 55 साल जाति राजपूत निवासी श्योराणी की ढाणी सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 05.07.2019 प्रकरण संख्या 336/2016 उनवान बजरंग सिंह वगै. बनाम गुडडी वगै. न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

उपस्थिति :

1. श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री इन्द्रजीत शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 336/2016 में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने धारा 212 का आवदेन प्रस्तुत कर ग्राम श्योराणी तहसील सूरजगढ़ के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 27.05.2019 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। आगामी तिथि दिनांक 05.07.2019 को अप्रार्थी संख्या 8 के निवेदन पर अप्रार्थी संख्या

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

8 के हिस्से तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वेकेट कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ के समक्ष दावा बाबत तकास्मा प्रकरण संख्या 290/2016 उनवान बजरंग सिंह वगै. बनाम गुडडी वगै पेश किया जिसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 336/2016 उनवान बजरंग सिंह वगै. बनाम गुडडी वगै. प्रस्तुत किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ ने प्रार्थीगण के हक में दिनांक 14.12. 2016 को अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश जारी करके रिकार्ड व मौका पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है भंवरसिंह व सूरजभान सिंह अन्ने सिंह के पुत्र है अन्ने सिंह व भंवर सिंह की मृत्यु हो चुकी है ग्राम श्योराणी की ढाणी सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान में अन्ने सिंह की जमीन का बंटवारउखुद अन्ने सिंह ने अपने जीवन काल में अपने पुत्रों भंवर व सुरजभान के हक में कर दिया था जिससे दोनों के हक में अलग–अलग खाते बन गये लेकिन दोनों खातों में सूरजभान का हिस्सा 1/2 व भंवर सिंह के वारिसान हिस्सा 1/2 खाते में भी दर्ज रहा। अपीलार्थी निम्न खसरा नम्बरों पर काबिज है व काश्त करता आ रहा है खसरा नम्बर 196 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 206 रकबा 1.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 3.8800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 313 रकबा 1.0000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.9400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 326/195 रकबा 1.6600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 330/91 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 340/57 रकबा 0.6100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 341/301 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 349/56 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, कुल किता 11 रकबा है, श्योराणी की ढाणी सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान में स्थित है, तथा प्रत्यार्थी संख्या 6 का हिस्सा 1/2 की जमीन खाता संख्या 152 है जिस पर वह काबिज है व काश्त कर रहा है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 05.07.2019 को अप्रार्थी संख्या 6 सूरजभान के आवेदन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

पर स्टे वैकेट खारिज कर दिया जबकि पत्रावली अभी जवाब व तलबी में है जबकि विचारण न्यायालय को तलबी सम्पूर्ण व जवाब आने पर आदेश पारित किया जाना चाहिए था। अप्रार्थी सूरजभान इस आदेश की आड़ में जमीन में उसका आधा हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकि भूमि पर कब्जा नहीं है कब्जा दूसरे खाते में है दौराने दावा प्रत्यार्थी संख्या 6 उक्त भूमि को रहन व विक्रय करने पर अमादा है। विचारण न्यायालय को कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया की विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली का अवलोकन कर विचाराधीन निर्णय से आंशिक अस्थाई निषेधाज्ञा वेकेट की है। इससे अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। विचाराधीन आदेश से विचारण न्यायालय ने बिना किसी आवेदन के, समस्त पक्षकारों की तलबी पूर्ण हुये बिना, जवाब प्रस्तुत हुये बिना, गुणावगुण पर कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से आंशिक अस्थाई निषेधाज्ञा वेकेट की है। विचाराधीन आदेश में इसका कोई विधि सम्मत कारण भी अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

कि विधिक प्रक्रिया की पालना कर उभयपक्ष की सुनवाई के उपरांत आगामी दो माह में धारा 212 का आवेदन अंतिम रूप से निर्णित करना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर